



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन (सी ब्लॉक-द्वितीय तल) 59-अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

क्र. 2463 / MGNREGS-MP / NR-2 / 2012
प्रति,

भोपाल, दिनांक 06 / 03 / 2012

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,

जिला - म. प्र. (समस्त 50 जिले)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक

जिला पंचायत - म. प्र. (समस्त 50 जिले)

विषय : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण।

विषयांतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण 6 माह में एक बार किए जाने का प्रावधान है। अतः 13 अप्रैल 2012 से 20 अप्रैल 2011 के मध्य अभियान स्तर पर समस्त ग्रामसभाओं में अगस्त 2011 से मार्च 2012 तक के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है। इस हेतु भारत शासन की अधिसूचना क्र. 1827 दिनांक 31.12.2008 के परिपालन में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें, जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

1. सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु कैलेण्डर का निर्माण एवं कार्यक्रम का वेबसाइट पर प्रकाशन किया जाए। अतः कैलेण्डर के प्रकाशन का कार्य 12 मार्च 2012 तक अनिवार्यतः भारत सरकार की वेबसाइट पर कर दिया जाए।
2. सामाजिक अंकेक्षण कार्य की 30 दिवस पूर्व उद्घोषणा की जावे।
3. प्रत्येक सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के लिए अधिनियम अंतर्गत, कार्य करने वाले ग्रामीणों की सामाजिक संपरीक्षा समिति का ग्रामसभा द्वारा गठन किया जाए, जिसमें एक तिहाई से अधिक महिलाएं शामिल हो।
4. ग्राम पंचायत अंतर्गत कार्यों का विवरण, नस्तियां इत्यादि निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।
5. ग्राम पंचायत के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण से 15 दिन पूर्व समस्त आवश्यक अभिलेखों की फोटो प्रतियां सामाजिक संपरीक्षा समिति को उपलब्ध करा दी जाए।
6. सामाजिक संपरीक्षा समिति से समस्त अभिलेखों/सूचनाओं का सत्यापन और किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यों के संबंध में समिति को जानकारी देने की व्यवस्था की जाए।



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन (सी ब्लॉक-द्वितीय तल) 59-अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

7. जनप्रतिनिधियों और MGNREGA से संबंधित शासकीय सेवकों को लिखित में अग्रिम रूप से सूचित किया जाए ताकि वे भी सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में भाग ले सकें।
8. सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा प्रतिवेदन का ग्रामसभा में वाचन हो इसके साथ ही ग्राम पंचायत और शासकीय अधिकारियों से आमजन द्वारा सूचना और जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए।
9. पूर्व में हुए सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के वाचन की व्यवस्था की जाए।
10. सामाजिक अंकेक्षण का कार्यवाही विवरण का अभिलेखन सचिव द्वारा कराया जाए और अंकेक्षण के पूर्व और उपरांत ग्रामसभा के प्रतिभागियों से हस्ताक्षरित कराने की व्यवस्था की जाए।
11. सामाजिक अंकेक्षण कार्य में प्रेक्षक के रूप में आमजन के भाग लेने की व्यवस्थाएं की जाए।
12. सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन पर 30 दिवस के भीतर कार्यवाही की व्यवस्था की जाए।
13. अधिनियम के विपरीत कार्यों की जानकारी को शिकायत माना जाएगा और उसकी जांच कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के प्रावधान किए जाएं।
14. निधि में गड़बड़ी की शिकायतों पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही और वसूली की जाए।
15. शासकीय अंकेक्षक द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कार्य में वित्तीय गड़बड़ियों अथवा दुरुपयोग के संबंध में प्राप्त जानकारियों पर विचार की व्यवस्था की जाए।
16. अधिनियम/स्कीम से संबंधित अभिलेख जानकारी आमजन की संवीक्षा के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराने जाने की व्यवस्था करना और मांग किए जाने पर अधिनियम/स्कीम के प्रावधानों अनुसार फीस प्राप्त कर 3 दिवस के भीतर प्रदाय की व्यवस्था की जाए।
17. जिला स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण प्रकोष्ठ का गठन जिसके सदस्यों में प्रभारी अधिकारी सामाजिक अंकेक्षण, पंचायत, वित्त, एम.आई.एस. और मीडिया को शामिल किया जाए।
18. जनपद पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ का गठन किया जाए।
19. ग्राम सभाओं के आयोजन के लिए ग्राम पंचायतवार नोडल अधिकारी की नियुक्ति किए जाए।
20. नोडल अधिकारी को सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम की जानकारी हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए। प्रशिक्षित नोडल अधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्रांतर्गत गठित संपरीक्षा समिति के सदस्यों को सामाजिक अंकेक्षण के महत्व एवं उसकी प्रक्रिया के संबंध में जानकारी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।
21. सामाजिक अंकेक्षण में प्रस्तुत/निरीक्षण के लिए सत्यापित दस्तावेजों की उपलब्धता की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन (सी ब्लॉक-द्वितीय तल) 59-अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

22. समस्त कार्य जिनका क्रियान्वयन माह अगस्त 2011 से माह मार्च 2012 तक किया गया है, उन्हें सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में अनिवार्यतः शामिल किया जाए।
23. ऐसी ग्राम पंचायतें, जिन्होंने माह अगस्त 2011 से माह मार्च 2012 तक 10 लाख से अधिक की राशि के निर्माण कार्य किए हैं, उनमें सामाजिक अंकेक्षण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी कराई जाए।
24. ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रचलित कार्यों के संबंध में समस्त स्तर पर प्राप्त शिकायतें भी संबंधित ग्रामसभा के समक्ष प्रस्तुत की जाए। ग्रामसभा के द्वारा ही शिकायतों के निराकरण की कार्यवाही की जाए।
25. ग्रामसभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही भारत सरकार की वेबसाईट पर उपलब्ध पत्रक अनुसार संकलित की जाएगी।
26. सामाजिक अंकेक्षण कार्रवाई के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पूर्व में प्रेषित किया गया है।
27. ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण कार्य के दौरान एम.आई.एस. प्रतिवेदनों का वाचन किया जाए। ताकि समुदाय को एम.आई.एस. प्रतिवेदनों के परीक्षण और सत्यापन का अवसर प्राप्त हो।
28. निर्धारित प्रपत्र अनुसार ग्रामसभा की कार्रवाई का प्रभावी संचालन हो, इसके लिए स्थानीय बोली में सामाजिक अंकेक्षण की कार्रवाई का संचालन किया जाए।
29. सामाजिक अंकेक्षण कार्य से संबंधित प्रशासकीय व्यवस्थाओं के लिए पत्र क्रमांक 9917/एनआरईजीएस-एम.पी./एनआर-5/09 भोपाल, दिनांक 03/08/2009 के अनुसार कार्रवाई की जाए।
30. वीडियोग्राफी से संबंधित निर्देशों का पालन किया जाए। इसके लिए पत्र क्रमांक 12775/एनआरईजीएस-एमपी/एनआर-6/09 भोपाल, दिनांक 5/10/2009 के अनुसार कार्रवाई की जाए।

उपरोक्त कार्यों के संचालन के मार्गदर्शन के रूप में समय-सारणी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है एवं पूर्व जारी संलग्न निर्देशों का पालन किया जाए।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में समस्त ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(नीरज मण्डलोई)

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

समय सारणी

क्र.	कार्य	समय सीमा
1	जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत अन्तर्गत ग्राम सभाओं के आयोजन का कैलेण्डर का वेबसाइट पर प्रकाशन (कैलेण्डर में तिथियां ग्रामसभा के आयोजन की तिथि से 30 दिवस पूर्व की होना अनिवार्य है।)	13 मार्च 2012
2	सामाजिक अंकेक्षण के लिये ग्रामसभाओं के आयोजन कार्यक्रम की अधिसूचना	आयोजन तिथि से 30 दिवस पूर्व
3	सामाजिक संपरीक्षा समिति गठन हेतु ग्राम सभा के आयोजन की अधिसूचना	आयोजन तिथि से 28 दिवस पूर्व
4	सामाजिक अंकेक्षण कार्य के लिये सामाजिक संपरीक्षा समिति का गठन	आयोजन तिथि से 21 दिवस पूर्व
5	प्रशिक्षित नोडल अधिकारियों द्वारा गठित संपरीक्षा समिति के सदस्यों को सामाजिक अंकेक्षण के महत्व के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन	समिति गठन के तत्काल 02 दिवस उपरांत
6	आमजन के निरीक्षण हेतु ग्राम पंचायत अन्तर्गत कार्यों की नस्ती एवं अन्य अभिलेखों की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराना।	आयोजन तिथि से 21 दिवस पूर्व
7	संपरीक्षा समिति को ग्राम पंचायत अन्तर्गत कार्यों की नस्ती एवं अन्य अभिलेखों की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराना	आयोजन तिथि से 15 दिवस पूर्व
8	जनप्रतिनिधियों एवं शासकीय अधिकारियों को लिखित में सूचित करना	आयोजन तिथि से 21 दिवस पूर्व
9	सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों का संकलन (कार्यालय-कार्यक्रम अधिकारी)	आयोजन तिथि से 03 दिवस उपरांत तक
10	ग्राम सभा के सामाजिक अंकेक्षणों प्रतिवेदनों का ग्राम पंचायतवार संकलन कर जिला समन्वयक कार्यालय में भेजना (कार्यालय – कार्यक्रम अधिकारी)	आयोजन तिथि से 05 दिवस उपरांत तक
11	कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनों का संकलन कर भारत सरकार को भेजना	आयोजन तिथि से 10 दिवस उपरांत तक
12	सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर कार्यवाही	आयोजन तिथि से 30 दिवस उपरांत तक
13	सामाजिक अंकेक्षण की भारत सरकार की वेबसाईट पर एन्ट्री	माह के भीतर